प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/अनुदानित/निजी संस्थाये,
उत्तर प्रदेश।

सं0 /स0नि0कैम्प–एआईसीटीई(अनु0–2011) कानपुर दिनांक .2011

महोदय,

कृपया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के विज्ञापन सं0–अनुमोदन/06(03)/2011, जो हिन्दी दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' कानपुर संस्करण में दिनांक–12.06.11 को प्रकाशित हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। (प्रतिलिपि संलग्न)

यह विज्ञापन वर्ष 2011–12 में स्थापित की जाने वाली नयी संस्थाओं एवं विद्यमान एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं के लिये सभी श्रेणियों के अनुमोदन से सम्बन्धित है। कृपया तद्नुसार विज्ञापन के अनुरूप तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

/

(मधुकर)
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

सं0 6288-6294 /स0नि0कैम्प–एआईसीटीई(अनु0–2011) तद्दिनांक 13-6 .2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
2– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

Madhukar

(मधुकर)
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

blk@an

"HINDUSTAN" NEWS PAPER (HINDI)
KANPUR EDITION - 12.06.2011

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)
सातवां तल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110 001
फोन: 011-23724151-57 वेबसाइट: www.aicte-india.org

विज्ञापन सं.: अनुमोदन/06 (03)/2011

वर्ष 2011-12 में स्थापित की जाने वाली नई संस्थाओं के लिए सभी श्रेणियों के अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2011-12 के अध्याय-I के अनुसार अपील करने हेतु अपील प्रक्रिया

अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2011-12 के अध्याय-I के अनुसार किसी भी प्रक्रिया के लिए अनुशंसित नहीं किये गये सभी आवेदनों पर अपील करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

ऐसे आवेदक, जिनके आवेदन कार्यकारणी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये हैं, अभातशिप के नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में दिनांक 14 जून, 2011 से 18 जून, 2011 तक लिंक www.aicte-india.org>instructions में दी गई अनुसूची अनुसार, पहले प्रस्तुत न किये गये दस्तावेजों के साथ, व्यक्तिगत तौर पर अपील कर सकते हैं। अपील के लिए उपस्थित होने वाला व्यक्ति **संस्थान का जिम्मेदार अधिकारी/संकाय होना चाहिए।**

आवेदकों को अपील के लिए केवल एक अवसर दिया जाएगा। सभी अपील आवेदकों को अधिसूचित अनुसूची के अनुसार अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार रहना होगा।

आवेदकों को अपीलीय समिति की दी गई अनुसूची के अनुसार तैयार रहने की सलाह दी जाती है तथा वे अपील के लिए अनुपस्थित न रहें।

यदि आवेदक अपील के लिए अनुपस्थित रहते हैं, तो दिये गये शैक्षणिक वर्ष के लिए समय बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी परिस्थिति में उनके आवेदन/प्रस्ताव पर अपीलीय समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी संस्थाओं को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए (यदि वे चाहें तो) नये सिरे से आवेदन करना होगा।

किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहने वाली ऐसी संस्थाएं आगे कोई भी अपील करने के लिए पात्र नही होंगी। अपील के परिणाम दिनांक 30.06.2011 को अभातशिप की वेबसाइट पर अधिसूचित किये जाएंगे।

आगामी संवीक्षा :

माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय समिति की अग्रेसित संवीक्षा मामलों हेतु अनुसूची, सभी क्षेत्रों [illegible] सभी संस्थाओं के लिए विस्तारित होंगी, जिनकी संवीक्षा तथा पुनः संवीक्षा समितियों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है, तथा इस अनुसूची को समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

ऐसे सभी मामलों पर प्रक्रिया के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी, तथा जहाँ पर अनुशंसा की गई है, वहाँ पर विशेषज्ञ दौरे संचालित किए जाएंगे।

एल.ओ.आई. मामले :

एल.ओ.आई. के मामलों के संबंध में कार्यकारिणी समिति की उप समिति की बैठके जारी है, अनुमोदन पत्र जारी करने तथा अन्य के विषय में दिनांक 22.06.2011 को अधिसूचित किया जाएगा।

विद्यमान अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं के लिए सभी श्रेणियों के अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2011-12 के अध्याय-II के अनुसार अपील के लिए आवेदन करने हेतु अपील प्रक्रिया

अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2011-12 के अध्याय-II के अनुसार किसी भी प्रक्रिया के लिए अनुशंसित नहीं किये गये सभी आवेदनों पर अपील करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

आवेदकों को अपील के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा :-

1. आवेदक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पूर्व में जमा किए गए संपूर्ण आवेदन की फोटोप्रति लाएं। यदि आवेदक के पास पहले जमा किए गए आवेदन की फोटो प्रति उपलब्ध नहीं है तो वह वेबपोर्टल से संपूर्ण आवेदन की मुद्रित फोटोप्रति ले सकते हैं।
2. आवेदक अभातशिप के वेबपोर्टल www.aicte-india.org>instructions पर अपलोडिड दस्तावेजों में प्रदर्शन अनुसार अपने आवेदन की फोटोप्रति में आवश्यक सुधार कर सकते हैं।
3. ये संशोधित मुद्रित प्रतियाँ, पहले प्रस्तुत न किए गए दस्तावेजों सहित दिनांक 13.06.2011 से 17.06.2011 तक लिंक www.aicte-india.org>instructions में दी गई अनुसूची के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर जमा की जानी चाहिएं, **जमा करने वाला व्यक्ति संस्थान का जिम्मेदार अधिकारी/संकाय होना चाहिए।**
4. अपील का परिणाम दिनांक 30.06.2011 को अभातशिप की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

सभी आवेदकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे आगामी पूछताछ के लिए अभातशिप मुख्यालय में न आएं तथा निर्देशों (यदि कोई हों), के लिए वेबसाइट देखने की कृपा करें।

सदस्य-सचिव